बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–14 / वि०1–104 / 2024 पटना, दिनांकः 24 / 5 / 2024

प्रेषक,

मो0 सादुल्लाह जावेद,

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)

(रूपां0 एवं योजना तथा परियोजना प्रमण्डल छोड़कर)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : हर घर नल का जल निश्चय योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन, ग्राम पंचायतों में पूर्व से विभिन्न परियोजनाओं के तहत अधिष्ठापित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख–रखाव एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–6 / ज0गु0–102 / 2021–1627, दिनांक–23.09.2021, 6 / ज0गु0–102 / 2012–1786, दिनांक–26.10.2021, ज्ञापांक–6ए / वि01–1079 / 2017–1850, दिनांक 02.11.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायतों में पूर्व से विभिन्न परियोजनाओं के तहत अधिष्ठापित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख–रखाव एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण के लिए निदेश दिए गए थे एवं समय–समय पर संशोधित किए गए। उपरोक्त में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण मिनी जलापूर्ति योजनाएँ जो सौर ऊर्जा / विद्युत चालित हैं तथा पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित हैं, को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा एवं ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन समिति (WIMC) को योजना को संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपलब्ध कराया जाएगा एवं इस पर कुल व्यय का वहन 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से पेय जल तथा स्वच्छता मद में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले टाईड फंड / अन्य निधि से किया जाएगा। इसी प्रकार विभाग के अधीन नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित मिनी जलापूर्ति योजनाएँ जिसके संचालन एवं रख–रखाव की अवधि पूर्ण हो चुकी है, वैसी योजनाएँ जिसके संचालन एवं रख–रखाव की अवधि जारी है, का विधिवत् एकरारनामा खत्म करते हुए सभी मिनी जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण हेतु संबंधित वार्ड की जलापूर्ति योजनाओं के संवेदक / एजेंसी को तत्काल प्रभाव से हस्तगत कराया जाएगा एवं पेयजल श्रोत का उपयोग करते हुए कार्यरत श्रम बल से ही मिनी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण किया जाएगा एवं इस हेतु संवेदक को कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

2. पंचायती राज विभाग के संकल्प–5464 / पं0 रा0 दिनांक–16.05.2023 द्वारा पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित सभी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख–रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को संयुक्त निरीक्षण के उपरांत As is where is

basis (जैसी स्थिति में अभी है), के आधार पर हस्तांतरित किया जा सकेगा एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया। विभागीय संकल्प–543 दिनांक–16.06.2021 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत अनुदेश में मिनी पाइप जलापूर्ति योजनाओं को भी अनुरक्षण शामिल किया गया है। पूर्व में विभागीय पत्र द्वारा निर्गत निदेश के संबंध में संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(i) **विभागीय पत्रांक–6ए / वि01–1079 / 2019–5410, दिनांक–24.10.2019 द्वारा निदेशित किया गया था कि**

(क) एकरारनामा के अनुसार जो कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं उक्त वार्ड PRD अंतर्गत है, वहाँ निर्माण कार्य नहीं कराया जाए।

(ख) उपलब्ध स्थलों पर कार्य पूर्णता के पश्चात एकरारनामा बंद कर दी जाए।

(ग) अनुपलब्ध सभी स्थलों से संबंधित वार्डों में योजना MMNY के अंतर्गत पूर्ण की जाएगी।

(ii) **विभागीय पत्रांक–6ए / वि01–1079 / 2017–2875, दिनांक–16.12.2020 द्वारा निदेशित किया गया था कि सौर ऊर्जा चालित विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विद्युत संयोजन कि व्यवस्था की जाए ताकि नियमित जलापूर्त्ति में कोई व्यवधान उपलब्ध नहीं हो।**

(iii) **विभागीय पत्रांक–6 / ज0गु0–102 / 2021–1627, दिनांक–23.09.2021 द्वारा निदेशित किया गया था कि विभाग के नियंत्राधीन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित मिनी जलापूर्त्ति योजनाएँ, जिनके संचालन एवं रख–रखाव की अवधि पूर्ण हो चुकी है और वैसी योजनाएँ जिनकी संचालन एवं रख–रखाव की अवधि जारी है, का विधिवत् एकरारनामा खत्म करते हुए सभी मिनी जलापूर्त्ति योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण हेतु निम्नवत् निदेश दिये जाते हैं–**

(क) विभाग के नियंत्राधीन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित मिनी जलापूर्त्ति योजनाओं को संबंधित वार्ड की जलापूर्ति योजना के संवेदक / एजेंसी को योजना के दीर्घकालिक अनुरक्षण हेतु तत्काल प्रभाव से हस्तगत कराया जायेगा।

(ख) संवेदक / एजेंसी का दायित्व होगा कि मिनी जलापूर्ति योजना को आच्छादन क्षेत्र के परिवारों के लिए पेयजल स्रोत के रूप में बनाये रखें और कार्यरत श्रमबल से ही मिनी जलापूर्ति योजना का संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण करायें।

(ग) उक्त कार्य हेतु संवेदक / एजेंसी को कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। संवेदक / एजेंसी के द्वारा मूल जलापूर्ति योजना हेतु स्थापित व्यवस्था से ही मिनी जलापूर्ति योजना का संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

(iv) **विभागीय पत्रांक–6 / ज0गु0–102 / 2012–1786, दिनांक–26.10.2021 द्वारा निदेशित किया गया था कि मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव हेतु विद्युत प्रभार, लघु / वृहत मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री तथा रसायन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मौलिक जलापूर्ति योजना के विचलन के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार की जा सकेगी।**

(क) जलशुद्धिकरण संयंत्र युक्त मिनी जलापूर्ति योजनाओं में फिल्टर मीडिया के रख–रखाव व्यय होने वाली निधि की प्रतिपूर्ति भी वास्तविकी के आधार पर की जाएगी।

(ख) मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण कार्य में होने वाले व्यय

का आकलन संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा कराया जायेगा और वार्षिक आकलन करते हुए अलग से निधि की अधियाचना प्रस्तुत की जायेगी।

192

3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की दिनांक–10.08.2021 को संयुक्त बैठक में दिये गये निदेशः–

(क) पंचायती राज विभाग के नियंत्राधीन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित मिनी जलापूर्ति योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा, जिसका संचालन एवं रख–रखाव संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा किया जायेगा।

(ख) पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित की गयी मिनी जलापूर्ति योजना को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा अतिरिक्त/वैकल्पिक/नियमित जलापूर्ति योजना के रूप में कार्यरत बनाये रखा जायेगा।

(ग) मिनी जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के द्वारा "हर घर नल का जल" निश्चय अंतर्गत ग्राम पंचायत से प्राप्त होने वाली निधि से ही किया जायेगा। संबंधित वार्ड के अनुरक्षक ही मिनी जलापूर्ति योजना का संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य संपादित करेंगे।

(घ) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं दीर्घकालिक अनुरक्षण हेतु निर्गत संकल्प के अनुसार विभाग नियंत्राधीन ग्राम पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा रू0–30/– के मासिक उपभोक्ता शुक्ल की वसूली की जायेगी।

4. वर्तमान में राज्य की सभी जलापूर्ति योजनाओं (शहरी क्षेत्र छोड़कर) के रख–रखाव की जवाबदेही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की है एवं सिद्धांततः मिनी पाइप जलापूति योजनाएँ जिन ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित है उस ग्राम पंचायत के वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं के साथ संबद्ध कर/एकीकृत कर संचालित किया जाना है एवं इसके संचालन हेतु वार्ड स्तर पर निर्मित योजनाओं के अनुरक्षक/संवेदक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त श्रम बल की प्रावधान नहीं है एवं न ही किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुरक्षक/संवेदक को देय है। अतः उपरोक्त सभी निदेशों को अद्यतन एवं एकीकृत करते हुए मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख–रखाव एवं दीर्घकालिक अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल अधिष्ठापित 4561 मिनी जलापूर्ति योजनाओं में 720 योजनाओं को छोड़कर शेष 3750 योजना की O & M अवधि समाप्त हो चुकी है (प्रति संलग्न)।

(i) मिनी जलापूर्ति योजना वाले वैसे वार्ड/टोला जहाँ "हर घर नल का जल" योजना, या अन्य पेयजलापूर्ति योजना नहीं है एवं उसे "छूटे हुए टोला" के लिए योजना में भी शामिल नहीं किया गया है तथा उक्त क्षेत्र के लोग इसी योजना पर निर्भर है, वैसी मिनी जलापूर्ति योजनाओं को चालू रखना अनिवार्य है। ऐसी योजनाएँ अगर बंद है तो उसे शीघ्र चालू करने की कार्रवाई की जाए।

(ii) मिनी जलापूर्ति योजना वाले वैसे वार्ड/टोला जहाँ "हर घर नल का जल" योजना, या अन्य पेयजलापूर्ति योजना से उन वार्डों/टोलों को आच्छादित किया गया है, वहाँ स्थित कार्यरत मिनी जलापूर्ति योजना के अव्यवों को नल जल योजना के तहत स्थित पेयजलापूर्ति योजना के साथ जोड़ कर उसके उपयोग में लाने की कार्रवाई की जाए।

(iii) ऐसी अकार्यरत (defunct) जलापूर्ति योजनाएँ जिनको चालू नहीं किया जा सकता है अथवा चालू करने में अत्यधिक राशि की आवश्यकता होगी उसके उपयोगी अवयवों को निकालकर प्रमण्डलीय भंडार में संधारित की जाय तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था वाले अनुपयोगी अवयवों के नियमानुकूल निलामी करने की कार्रवाई की जाए।

(iv) वैसे सभी मिनी जलापूर्त्ति योजनाएँ जो सोलर प्लेट में खराबी/टूटने/चोरी होने के कारण बंद है तथा उसके अन्य अव्यव कार्यरत हैं, को बिजली से चालू करने की कार्रवाई की जाए।

(v) पूर्व में पंचायती राज विभाग अंतर्गत वार्डों/टोलों में स्थित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के लिए भी उपरोक्त कंडिकाओं में अंकित निदेश लागू होगा।

(vi) वैसे सभी मिनी जलापूर्त्ति योजनाएँ जिनका संवेदक द्वारा मरम्मति एवं सम्पोषण की अवधि समाप्त हो गई हो या होने वाली हो, उन्हें उस क्षेत्र के "हर घर नल का जल" योजना अंतर्गत पेयजलापूर्ति योजना जिनका मरम्मति एवं संपोषण कार्य दिनांक–30.09.2024 तक समाप्त हो रहा है, पूर्व के निर्णय के अनुरूप O&M में शामिल कर लिया जाए।

(vii) वैसे मिनी जलापूर्ति योजना वाले वार्ड/टोला जहाँ "हर घर नल का जल" योजना के तहत स्थित योजना के मरम्मति एवं संपोषण कार्य 30.09.2024 के बाद समाप्त हो रहा है वैसे मिनी जलापूर्ति योजनाओं को संबंधित वार्ड की जलापूर्ति योजना के संवेदक/एजेंसी को अनुरक्षण हेतु तत्तकाल प्रभाव से हस्तगत कराया जायेगा। उन मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, मौलिक जलापूर्ति योजना के विचलन के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार की जायेगी। पूर्ववत् इस निर्णय का अनुपालन दृढ़ता से की जाय, किसी प्रकार के दैनिक/श्रमपुस्त कर्मी को नहीं रखा जाय।

(viii) किसी भी परिस्थिति में मिनी जलापूर्ति योजना के लिए अलग से अनुरक्षक को नहीं रखा जायेगा एवं इस हेतु कोई भुगतान संवेदक/एजेंसी को नहीं की जाय।

(ix) पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या–3प/मु0मं0नि0यो0– 19–57/2019, 5464पं0रा0, पटना, दिनांक–16.05.2023 के आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत सभी योजनाएँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित की गयी।

इन वार्डो/टोलों में स्थित मिनी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव का कार्य पंचायती राज विभाग अंतर्गत स्थित नल जल योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपलब्ध निधि द्वारा किया जायेगा। भविष्य में पंचायती राज विभाग अंतर्गत स्थित नल जल योजनाओं से संबंधित मरम्मति एवं संपोषण कार्य के साथ उन मिनी जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण कार्य को भी सम्मलित किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक:24.05.2024

प्रतिलिपिः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। १९५

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक : 21 पटना, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः—मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक : 21 पटना, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक : 21 पटना, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक : 21 पटना, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक : 21 पटना, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः—मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (यॉँत्रिक)/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, (यॉँत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (यॉँत्रिक) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव